

पत्र सं. १११२४-४-२००२



सूरत महापालिका

डिंडोली उपनक्षेत्र को नगर रचना योजना सूत सं. ४१ (डिंडोली) तैयार करने संबंधी अधिसूचना

मुंबई नगर रचना और शहरी विकास अधिनियम-१९७४ की धारा-२२ की उपधारा (१) के अनुसंधान में विधि सूत शहरी विकास सार्वजनिक ने इसके दि. २७-१-८४ के प्रस्ताव नं. ४१६ (१०) से सूरत महापालिका क्षेत्र में नगर रचना योजना बनाने के लिये एंटीसिटी ड्राइंग को जारी करती कार्यवाही के लिये सूरत महापालिका को सलाह प्रदान की गई है।

मुंबई नगर रचना और शहरी विकास अधिनियम-१९७४ (डिंडोली नं. २०) तथा एंटीसिटी एक्ट - १९६६ की धारा-४१ के प्रस्ताव के अनुसार सूरत महापालिका के नगर निरीक्षण समिति के प्रस्ताव नं. २२/२००१, दि. ३१-३-२००१ से सिविलियन नगर नं. डीपीए/४१ में गुलामी रंग को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल अनुसार डिंडोली क्षेत्र के लिये नगर रचना योजना सूत नं. ४१ (डिंडोली) तैयार करने का इरादा घोषित किया है। इस नक्शे को एक नक्शा अथवा नक्शा को दिखाने के लिये सूरत महापालिका के टाऊन प्लानिंग को कचहरी, टाऊन प्लानिंग विभाग, सूरत महापालिका, गुलामीघर, सूरत में आवेदन के दिनों के दिनांक के दिनों में कार्यालय समय के दौरान सुले रहे गये हैं।

सूरत **आवृत्त**
दि. ६-४-२००१ **सूरत महापालिका**
सूरत महापालिका को नगर निरीक्षण समिति की ३१-३-२००१ के दिनांक में सभा में नियमानुसार प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव : महापालिका आवृत्त के दि. २०-३-२००१ के पत्र नं. सी.पी.ए./८७८ से निर्दिष्ट, उपरोक्त निर्दिष्ट सभी सूचनाओं को ध्यान में रखकर, समिति को सभा में उपस्थित शहरी विकास अधिकारी के साथ नगर निरीक्षण के नगर, सूरत महापालिका क्षेत्र में सम्बंधित तथा कार्य में शामिल नक्शे में गुलामी रंग को सार्वजनिक क्षेत्र दिखाने इसके में शामिल के अनुसार नगर रचना योजना नं. ४१ (डिंडोली) तैयार करने अनुसार इरादा इरादा घोषित करने का, इरादा घोषित करने संबंधी टाऊन प्लान के साथ समित अधिसूचना संभूत करने तथा उक्त अधिसूचना को दो स्थायी दैनिक कोचिंग पर नं. एक-एक कर अथवा नक्शा को सूचना के लिये प्रकाशित करवाने और इरादा घोषित करने को अधिसूचना को सार्वजनिक के इरादा में प्रकाशित करने तथा सार्वजनिक के साथ नक्शा समाज कार्यवाही करी महापालिका आवृत्त को अधिसूचना को नगर प्रस्ताव दिया जाता है।

प्रस्ताव नं. २२/२००१ सार्वजनिक से संभूत
नं. सीआरओ/१०/२००१-२००२ दि. ११-४-२००१